

डी.एल.एड. प्रथम वर्ष प्रवेश हेतु आवश्यक

दस्तावेजों की सूची

(प्रमाण पत्रों की मूल एवं छाया प्रति)

1. ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन फार्म की पावती प्रतिलिपि
2. सीट आबंटन का पृष्ठ
3. 10 वी की अंकसूची
4. 12 वी की अंकसूची
5. स्नातक (यदि लागू हो तो) तीनों वर्षों की अंकसूची
6. प्रवजन (माइग्रेशन) प्रमाण पत्र (अंतिम पाठ्यक्रम)
7. जाति प्रमाण पत्र
8. निवास प्रमाण पत्र
9. दिव्यांग/सैनिक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र अगर हो तो, उसका प्रमाण पत्र
10. आधार कार्ड
11. अनुभव प्रमाण पत्र
12. शपथ पत्र
13. DEB ID बनाकर लावें (Website- <https://deb.ugc.ac.in/StudentDEBId>)
14. एक फोटो

नोट— OBC नॉन क्रिमीलेयर के अभ्यर्थियों को अपने जाति प्रमाण पत्र के साथ नॉन क्रिमीलेयर होने संबंधी प्रमाण पत्र (एक वर्ष के अंदर का) या वर्तमान का आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना अनिवार्य है, नहीं लाने की स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया से वंचित रहेंगे।

प्रारूप क्रमांक 03 (न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र)

पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

**डी.एल.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु
शिक्षण अनुभव प्रमाण-पत्र**

विद्यालय का पंजीयन क्रमांक

विद्यालय का नाम

विद्यालय का पता

विद्यालय का दूरभाष क्रं.

विद्यालय द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक –

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कु.

पिता/पति इस विद्यालय में

पद पर दिनांक से तक कार्य किया है।

सील

हस्ताक्षर

प्राचार्य/प्रधानाध्यापक

नाम-.....

नोट :-उक्त प्रमाणपत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट, ओवर राईटिंग या सफेदा लगा होने की दशा में प्राचार्य के उस जगह पर काउंटर साइन व सील होना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा व प्रवेश निरस्त किया जावेगा। शाला प्राचार्य/प्रधानाध्यापक का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के दौरान ही उपयोग में लाया जावेगा अतः काउंसिलिंग के दौरान ही बनवाएं ताकि तत्कालीन तिथि प्रमाण पत्र में अंकित हो।

अनुभव प्रमाण पत्र हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

1. अनुभव प्रमाण पत्र के उपरोक्त प्रारूप को सावधानीपूर्वक प्राचार्य/प्राधानपाठक से पूर्ण रुप से भरवाकर सत्यापन के दौरान मूलप्रति में जमा करना अनिवार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र इसी निर्धारित प्रारूप में स्वीकार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी प्रकार की कांट-छांट न करें।
2. दो अलग-अलग शाला में अध्यापनरत रहें शिक्षकों को दो अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। जिसमें पहला न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव दर्शाता हो एवं दूसरा जो की वर्तमान में छत्तीसगढ़ की शाला में अध्यापनरत होना दर्शाता हों। 2 वर्ष का अनुभव वर्तमान तक में पूर्ण होना चाहिये एवं निरंतर कार्यरत होना चाहिए।
3. यह प्रमाण पत्र 19जुलाई 2026 के पश्चात एवं प्रवेश के पूर्व बना होना चाहिए।

प्रारूप क्रमांक 04 (वर्तमान में कार्यरत होने का अनुभव प्रमाण-पत्र)

पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

डी.एल.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु
शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र

विद्यालय का पंजीयन क्रमांक

विद्यालय का नाम

विद्यालय का पता

विद्यालय का दूरभाष क्रं

विद्यालय द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक –

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कु.
पिता/पति इस विद्यालय में
पद पर दिनांक से निरंतर वर्तमान में कार्यरत है।

सील

हस्ताक्षर

प्राचार्य/प्रधानाध्यापक

नाम-.....

नोट :-उक्त प्रमाणपत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट, ओवर राईटिंग या सफेदा लगा होने की दशा में प्राचार्य के उस जगह पर काउंटर साइन व सील होना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा व प्रवेश निरस्त किया जावेगा। शाला प्राचार्य/प्रधानाध्यापक का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के दौरान ही उपयोग में लाया जावेगा अतः काउंसिलिंग के दौरान ही बनवाएं ताकि तत्कालीन तिथि प्रमाण पत्र में अंकित हो।

अनुभव प्रमाण पत्र हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

1. अनुभव प्रमाण पत्र के उपरोक्त प्रारूप को सावधानीपूर्वक प्राचार्य/प्राधानपाठक से पूर्ण रूप से भरवाकर सत्यापन के दौरान मूलप्रति में जमा करना अनिवार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र इसी निर्धारित प्रारूप में स्वीकार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी प्रकार की कांट-छांट न करें।
4. दो अलग-अलग शाला में अध्यापनरत रहें शिक्षकों को दो अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। जिसमें पहला न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव दर्शाता हो एवं दूसरा जो की वर्तमान में छत्तीसगढ़ की शाला में अध्यापनरत होना दर्शाता हों। 2 वर्ष का अनुभव वर्तमान तक में पूर्ण होना चाहिये एवं निरंतर कार्यरत होना चाहिए।
2. यह प्रमाण पत्र 19 जुलाई 2026 के पश्चात एवं प्रवेश के पूर्व बना होना चाहिए।

बी.एड./ डी.एल.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु
प्रारूप क्रमांक 05 शपथ पत्र का प्रारूप

(10/— रु. के स्टाम्प में नोटरी कराकर ही शपथ पत्र देवें)

मैं

पिता/पति

प्रवेश परीक्षा अनुक्रमांक यह घोषणा करती/करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारी, संलग्न प्रमाण-पत्रों की छाया प्रति सत्य व सही है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत अथवा झूठी पाई जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप मुझे यह स्वीकार होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन मेरे प्रवेश एवं उपरोक्त पाठ्यक्रम की उपाधि को किसी भी समय निरस्त करने एवं मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।

दिनांक—

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

स्थान —

आपसी सहमति के आधार पर अध्ययन केन्द्र परिवर्तन हेतु प्रावधान

1. आपसी सहमति के आवेदन काउंसलिंग खत्म होने के एक सप्ताह के अंदर ही स्वीकार किये जायेंगे। एक सप्ताह के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।
2. अध्ययन केन्द्र परिवर्तन केवल आपसी सहमति के आधार पर ही किया जायेगा। आवेदन में दोनों आवेदकों का पूर्ण विवरण हस्ताक्षर सहित होना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।
3. अध्ययन केन्द्र परिवर्तन केवल आपसी सहमति के आधार पर ही संभव होगा। इसके लिए अन्य कोई विकल्प पर विचार नहीं किया जायेगा।

आपसी सहमति के आधार पर अध्ययन केन्द्र परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

नोट—अध्ययन केन्द्र परिवर्तन शुल्क 1000/- के बिना जमा किये गये आवेदन स्वमेव निरस्त माने जायेंगे। चालान जमा होने के उपरांत शुल्क वापसी नहीं होगा।

विवरण	आवेदक क्रमांक 1 का विवरण	आवेदक क्रमांक 2 का विवरण
पाठ्यक्रम का नाम:—		
आवेदक का नाम :—		
आवेदन क्रमांक :—	FR132_____	FR132_____
वर्तमान अध्ययन केन्द्र :—		
वांछित अध्ययन केन्द्र :—		
मोबाइल नम्बर :—		
बैंक चालान (अध्ययन केन्द्र परिवर्तन शुल्क 1000/-) का विवरण		
बैंक का नाम :—		
सी.एस. क्रमांक :—		
बैंक चालान का दिनांक :—		
उपरोक्त स्थानतरण हेतु हमारी आपसी सहमति है		
आवेदक का हस्ताक्षर :—		
दिनांक :—		

कार्यालयीन उपयोग हेतु

आवेदकों द्वारा मांगा गया संशोधन मान्य/अमान्य किया जाता है।

दिनांक:

हस्ताक्षर
विभागाध्यक्ष